ऑन लाईन नं.GCMS2025/94

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : सुभाष कुमार, आर.ए.एस.
न्याय निर्णयन आवेदन सं० 32 / 2025

श्री हंसराज गोदारा , खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।?

बनाम

1. श्री नीरज रहेजा पुत्र श्री वेदप्रकाश
   मैसर्स :– संगम द स्वीट् शॉप, 90 एल ब्लॉक, नजदीक हनुमान मन्दिर श्रीगंगानगर। –(विकेता)–
2. श्री राम नरेश पुत्र श्री गोपी
   मैसर्स :– संगम द स्वीट् शॉप, 90 एल ब्लॉक, नजदीक हनुमान मन्दिर श्रीगंगानगर। –(मालिक)–

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा
एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/51

:: निर्णय ::

दिनांक : 06.06.2025

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी श्री हंसराज गोदारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, का गजट नोटिफिकेशन दिनांक 02.12.2022 के गजट में भाग 1(ख) पर प्रकाशित हुआ है एवं परिवादी का पदस्थापन एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय राज. जयपुर के आदेश कमांकः–एफएसएसए / 2022 / 6235 दिनांक 22.12.2022 के अनुसार जिला श्रीगंगानगर किया गया एवं संसोधित आदेश कमांकः– आयुक्ता0 / खासुऔनि / संस्था / 2022 / 6360 दिनांक 26.12.2022 है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियां न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

श्री हंसराज गोदारा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 11.11.2024 को दोपहर बाद 5.40 पी.एम को **मैसर्स संगम द स्वीट् शॉप, 90 एल ब्लॉक, नजदीक हनुमान मन्दिर श्रीगंगानगर** पर पहुंचा। मौके पर विकेता **श्री नीरज रहेजा पुत्र श्री वेदप्रकाश (विकेता)** , को अपना परिचय देकर संस्थान का निरीक्षण किया। संस्थान पर सिल्वर ट्रे में रखे 7–8 किलोग्राम खाद्य पदार्थ **बेसन बून्दी लड्डू** (Made by ghee, Besan and Sugar) के बारे में जानकारी चाही इस पर विकेता ने स्वंय को दुकान का **(विकेता)** होना बताया तथा संस्थान पर सिल्वर ट्रे में रखे 7–8 किलोग्राम खाद्य **पदार्थ बेसन बून्दी लड्डू** (Made by ghee, Besan and Sugar) **को आमजन** के बेचान वास्ते होना बताया। इसी **बेसन बून्दी लड्डू** (Made by ghee, Besan and Sugar) में मिलावट का शक होने पर विकेता से **बेसन बून्दी लड्डू** (Made by ghee, Besan and Sugar) **का** नमूना जांच वास्ते लेने की इच्छा, विकेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर देते हुए वरवक्त मौके पर ही विकेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर दिया जिस पर विकेता व गवाहान के व मैने हस्ताक्षर किये। फार्म नम्बर 5 ए न्याय निर्णयन के साथ सलंग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण कर आम जनता के विकय हेतु उपलब्ध खाद्य पदार्थ **बेसन बून्दी लड्डू** (Made by ghee, Besan and Sugar) 7–8 किलोग्राम में से 2 किलोग्राम को विकेता से खरीद कर लिया। विकेता को मौके पर ही उक्त कयशुदा **बेसन बून्दी लड्डू** (Made by ghee, Besan and Sugar) का नगद भुगतान 700 / – रूपये किया तथा कैशमीमो वनावाकर लिया जिस पर विकेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर है और मेरे भी हस्ताक्षर है। केशमीमो न्यायनिर्णय आवेदन के साथ सलंग्न है।

अति० जिला कलैक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)

ऑन लाईन नं.GCMS2025/94

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नम्बर 5 ए की प्रतियां तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **श्री नीरज रहेजा पुत्र श्री वेदप्रकाश (विक्रेता)** एवं गवाहान ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म नम्बर 5 ए की एक प्रति **श्री नीरज रहेजा पुत्र श्री वेदप्रकाश (विक्रेता)** को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। फार्म नम्बर 5ए मूल सलंग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **बेसन बून्दी लड्डू (Made by ghee, Besan and Sugar)** 2 किलोग्राम को बराबर भागों में बांटकर 4 साफ–सुथरे सूखें डिब्वों में ले कर प्रत्येक डिब्बे में परिरक्षक Formilin की 40–40 बूंदे डालकर ढवकन को कसकर वंद किये और 4 डिब्वों पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के **कोड व कमांक के–2585** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विकेता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग मोटे खाकी कागज में लपेट कर सिरों को सफाई से मोडकर गोंद से चिपकाया तथा प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा **पेपर स्लिप के–2585** नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार 4–4 जगह सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विकेता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आयें। चारों नमूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं के आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर **श्री नीरज रहेजा पुत्र श्री वेदप्रकाश (विक्रेता)** एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट मूल सलंग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांकः–एलएस / 1508 / एक्ट / 2024 / 1508 दिनांक 25.11.2024 प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना के–2585 **Unsafe Food** होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर अप्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर पुनः जांच हेतु नमूना कमांक के–2585 से प्रकरण रेफरल फूड लैबोरेट्री पुणे को पत्र कमांक को 605–07 दिनांक 06.05.2025 से नमूना जांच भेजी। रेफरल फूड लैबोरेट्री पुणे द्वारा जारी रिपोर्ट कमांक **RFL/P/DO-108/25/147/2025** दिनांक 12.02.2025 में अभियुक्त **श्री नीरज रहेजा पुत्र श्री वेदप्रकाश (विक्रेता) मैसर्स :–संगम द स्वीट शॉप, 90 एल ब्लॉक, नजदीक हनुमान मन्दिर श्रीगंगानगर** द्वारा **Sub-standard Food, बेसन बून्दी लड्डू (Made by ghee, Besan and Sugar)** का

अति० जिला कलेक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)

ऑन लाईन नं.GCMS2025/94

...व किये जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(ii)/51 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 14.05.2025 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपने जवाब में कथन किया है कि प्रार्थी मकान नम्बर 7 ए खालसा नगर श्री गंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर का रहने वाला है तथा प्रार्थी की फर्म मैसर्स संगम द् स्वीट शॉप दुकान नम्बर 90 एल ब्लाक श्रीगंगानगर का मालिक है तथा प्रार्थी को आपके विभाग द्वारा एक नोटिस आपके पत्र कमांक 722/25 दिनांक 15.05.2025 का दिया है कि आपकी दुकान में बेसन बून्दी लड्डू की जांच की गई तो बेसन बून्दी लड्डू **Sub-standard Food** पाया गया है। प्रार्थी ने उक्त बेसन बून्दी लड्डू में सुधार कर लिया है। भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दौबारा नहीं करेगा। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावें। उक्त प्रकरण संख्या 32/2025 है। लिहाजा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावें।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **बेसन बून्दी लड्डू (Made by ghee, Besan and Sugar)** जांच रिपोर्ट कमांक **RFL/P/DO-108/25/147/2025** दिनांक 12.02.2025 प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना के–2585 **Sub-standard Food.** होना पाया गया, उक्त जांच रिपोर्ट पर अविश्वास का कोई कारण नहीं है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम् 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लधन किया है जिसका जुर्माना खाद्य्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थी पर अधिक से अधिक जुर्माना जो धारा 51 में निर्धारित है लगाया जावें।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में जवाब में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी की फर्म मैसर्स संगम द् स्वीट शॉप दुकान नम्बर 90 एल ब्लाक श्रीगंगानगर का मालिक है तथा प्रार्थी को आपके विभाग द्वारा एक नोटिस आपके पत्र कमांक 722/25 दिनांक 15.05.2025 का दिया है कि आपकी दुकान में बेसन बून्दी लड्डू की जांच की गई तो बेसन बून्दी **Sub-standard Food** लड्डू पाया गया है। प्रार्थी ने उक्त बेसन बून्दी लड्डू में सुधार कर लिया है। भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दौबारा नहीं करेगा। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावें। उक्त प्रकरण संख्या 32/2025 है। लिहाजा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावें।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of **"Besan bundi lodoo (Made by Ghee, Besan and sugar)" bearing Code No and Sr. No. K-2585, does not conforms to the standards of Proprietary Food , as per Regulation No.2.12.1 & Food Category System No.6.5 of the Food Safety and Standards (Food**

अति० जिला कलेक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)

...ucts Standards & Food Additives) Regulation 2011 and further amendments, on the basis of tests performed , Hence found to the Sub-standard as per section 3(1)(zx) of Food Safety & Standards Act 2006. की जॉच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियवत **श्री नीरज रछेजा पुत्र श्री वेदप्रकाश** (विक्रेता) को एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त **श्री नीरज रछेजा पुत्र श्री वेदप्रकाश (विक्रेता)** को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत राशि रूपये 20000—00 (अखरे रूपये बीस हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में **श्री नीरज रछेजा पुत्र श्री वेदप्रकाश (विक्रेता)** खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 06.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुभाष कुमार)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(प्रशा0)
श्रीगंगानगर।

अति० जिला कलेक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर